न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3144–अध्यक्ष/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–4–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला भोपाल प्रकरण कमांक 75/स्व0निग0/07–08.

एलिक नथानियल आ0 स्व0 आई0डी0 नथानियल (मृत वारिसान):–

1 सनी नथानियल पुत्र
2 संजय नथानियल पुत्र
3 विजय नथानियल पुत्र
4 अजय नथानियल पुत्र
निवासी 2–ए/27, नार्थ टी0टी0नगर भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन
द्वारा अपर कलेक्टर जिला भोपाल

.....अनावेदक

श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/7/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश 23–4–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल भोपाल द्वारा कलेक्टर को पत्र कमांक मा0चि0 352 दिनांक 8–2–2008 लिखकर उल्लिखित

किया कि ग्राम महावड़िया तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे नंबर 66 रकबा 81.66 एकड़ संरक्षित वन भूमि घोषित है । इसमें से 77.42 एकड़ भूमि पर उनका आधिपत्य आज भी निरंतर चला आ रहा है एवं प्रबंधन भी वन विभाग द्वारा ही किया जा रहा है । किन्तु वर्ष 1985–86 के खसरे में उक्त भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी गई है और भूमि निजी व्यक्तियों के नाम किस प्रकार दर्ज की गई इसका कोई उल्लेख नहीं है । अतः प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में जांच कर वन विभाग की भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की जाये। उक्त पत्र पर से अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर से वास्तविक स्थिति संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 51/बी–121/07–08 दर्ज कर, जांच की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि सर्वे कमांक 66 रकबा 81.66 एकड़ भूमि पूर्व में वर्ष 1954 में संरक्षित वन भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में जंगल डिमारकेशन के मद में दर्ज रही, वर्ष 1973–74 में तहसीलदार हुजूर द्वारा प्रकरण कमांक 22/अ–19/73'74 में पारित आदेश दिनांक 16–6–1976 से 29 व्यक्तियों को पट्टे स्वीकृत किये गये थे, किन्तु कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में कार्यवाही प्रारंभ करने के कारण पट्टे का अमल अभिलेख में नहीं किया गया और बाद में कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 2–2–1979 से पट्टे निरस्त किये गये । वर्तमान में उक्त शासकीय भूमि पर 19 निजी व्यक्तियों का नाम अभिलिखित है, जिसके स्थान पर म0 प्र0 शासन अभिलिखित किया जाना है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी प्रकरण कमांक 75/स्व0निगरानी/07–08 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 23–4–2012 को आदेश पारित कर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित कर म0 प्र0 शासन (वन विभाग) का नाम अभिलिखित किया जाना आदेशित किया गया । साथ ही तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि वे इस आदेश का सात दिवस की समयावधि के भीतर अभिलेख में तत्काल पालन करावें और संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवेदक का अवैध आधिपत्य हटाने संबंधी कार्यवाही करें । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) सर्वे कमांक 66 रकबा 81.66 एकड़ भूमि में से 4.24 एकड़ भूमि काबिल काश्त घोषित की गई थी, जो वन डिमारकेशन से बाहर की थी, जिसमें से 1.62 एकड़ आवेदक के आधिपत्य एवं स्वामित्व की है । अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को दिया गया कारण बताओं सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया था कि उसके द्वारा संपूर्ण विकय प्रतिफल की राशि अदा कर पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 19–10–2004 से प्रश्नाधीन भूमि कय की गई है और उसका नामांतरण भी प्रश्नाधीन भूमि पर हो गया है, जिसे आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है, इस कारण नामांतरण आदेश अंतिम हो गया है। पंजीकृत दस्तावेजों के विपरीत वन विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर बिना जांच किये अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर वन विभाग का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और आज भी आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य में है, इसके पूर्व भी आवेदकगण के विकेताओं का कब्जा निर्विवाद था, मौके की स्थिति के विपरीत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, जो विधिक न होकर स्वीकार योग्य नहीं था । आवेदकगण के नाम की अभिलेख में प्रविष्टि का अज्ञात कारण बताया गया है, जबकि विधिवत नामांतरण स्वीकृत हुआ है और उसके पूर्व विकेताओं के नाम भी राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व के आधार पर ही दर्ज किए गए थे । यदि वर्ष 1987–88 के खसरा कालम 16 का अवलोकन किया जाये तो स्पष्ट है कि इस भूमि का भूमिस्वामी हक पूर्व भूमिस्वामी/विकेता श्री मुजीबखां आ0 हबीबखां को प्रकरण कमांक 49/अ–19/87–88 में पारित आदेश से दिए गए थे, अतएव आवेदकगण के पूर्व विकेतागण प्रश्नाधीन भूमि के विधिसम्यक रूप से भूमिस्वामी हो गए थे । खसरा वर्ष 1950 का अवलोकन किया जाय तो ख0क0 66 कुल रकबा 81.66 एकड़ था, जिसके भूमिस्वामी स्वत्व पर मुंशी आशिक हुसैन आ0 मुंशी इदरीश हुसैन कोम पठान साकिन भोपाल दर्ज रहा है । भूमिस्वामी स्वत्व पर जंगल डिमार्केशन अभिलिखित नहीं रहा है । इस प्रकार यह भूमि हमेशा अशासकीय स्वत्व की रही है और आज भी वन परिक्षेत्र सीमा से

बाहर स्थित है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि को स्वमेव निगरानी में लेकर गंभीर विधिक भूल की गई है । आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि के विरूद्ध स्वमेव निगरानी पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य थी ।

(3) आवेदक की ओर से शासन की अधिसूचना, राजस्व अभिलेख में विभिन्न प्रविष्टियां एवं न्याय दृष्टांत का उल्लेख करते हुये विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारोपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान वास्तविक स्थिति के संबंध में वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल से प्रतिवेदन प्राप्त किया । उक्त प्रतिवेदन दिनांक 4–7–2008 के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–8–2008 को प्रकरण अवलोकन एवं अध्ययन हेतु रखा । इसके बाद आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया । इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक के पीठ पीछे नैसर्गिक न्याय के विपरीत मन मर्जी से आलौच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है ।

(4) अपर कलेक्टर द्वारा अन्य वन परिक्षेत्र सीमा के अंदर आने वाली भूमि से संबंधित प्रकरणो में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि वन परिक्षेत्र सीमा से बाहर स्थित है ।

(5) वन विभाग के प्रतिवेदन में ही वर्णित 81.66 एकड़ भूमि में से शासन की अधिसूचना कमांक 5783,10/272 दिनांक 18–9–72 द्वारा रकबा 4.24 एकड़ भूमि को वन खण्ड से बाहर छोडा गया था, जो कि सर्वे नंबर 66/12 पर स्थित है एवं आवेदक के स्वत्व एवं कब्जे में है । इस विधिक बिन्दु पर ध्यान दिये बिना अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है, जबकि इस तथ्य की पुष्टि पत्र कमांक 109/री0अ0क0/08 दिनांक 13–2–2008 के संदर्भ में तहसीलदार हुजूर द्वारा प्रकरण कमांक 51/बी–121/07–08 में प्रेषित पत्र कमांक प्रवा03/2008 दिनांक 29–2–2008 से होती है ।

(6) स्वमेव निगरानी की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर ही की जा सकती है । लंबे अंतराल के बाद प्रकरण में स्वमेव निगरानी में लिया जाना न तो विधिसंगत है और न ही न्याय संगत है ।

(7) अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी द्वारा प्रस्तुत स्थल पंचनामा पर भी ध्यान नहीं दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि वन सीमा से बाहर होकर आवेदक के कब्जे में है ।

तर्क के समर्थन में 2007 राजस्व निर्णय 236,71 एवं65 2002 राजस्व निर्णय 452, 212 156 एवं 2001 राजस्व निर्णय 402 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 14–6–1954 से ग्राम महाबडिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 66 रकबा 81.66 एकड़ भूमि संरक्षित वन भूमि घोषित की गई है और राजस्व अभिलेख में वन विभाग का नाम भी दर्ज किया जा चुका है । बाद में 77.42 एकड़ भूमि वनखण्ड हेतु उपयुक्त पाये जाने पर वनखण्ड में शामिल की गई है और शेष भूमि 4.24 एकड़ अधिसूचना दिनांक 18–9–1972 से राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है । इस प्रकार संपूर्ण भूमियां म0 प्र0 शासन राजस्व विभाग एवं वन विभाग की है । बाद में वर्ष 1985–86 में उक्त भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि वह वन मण्डल संरक्षित वन के रूप में दर्ज है । निजी व्यक्तियों के नाम भूमि किस प्रकार दर्ज की गई इसका कोई उल्लेख राजस्व अभिलेख में नहीं है । वर्ष 1973–74 में उक्त भूमियों का पट्टा 29 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसे कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है । चूँकि आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि कय की जाकर अपना नामांतरण कराया गया, इसलिये कलेक्टर द्वारा उनका नाम विलोपित कर प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग के नाम अभिलिखित किया जाना आदेशित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि 4.24 एकड़ भूमि काबिल काश्त घोषित की गई थी, जो वन डिमारकेशन से बाहर थी, जिसमें से 1.62 एकड़ भूमि आवेदकगण के आधिपत्य एवं स्वामित्व की है । आवेदक द्वारा संपूर्ण विकय प्रतिफल अदा कर पंजीकृत विकय पत्र दिनांक

19–10–2004 से प्रश्नाधीन भूमि क्रय की गई है और उसका नामांतरण भी हो गया है, जिसे चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है । क्योंकि आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि क्रय की गई है और शासकीय भूमि विक्रय करने का अधिकार विक्रेता को नहीं था । इसके अतिरिक्त वन डिमारकेशन से बाहर की भूमि 4.24 एकड़ राजस्व विभाग को अन्तरित की गई है न कि किसी निजी व्यक्ति को । यदि शासकीय भूमि किसी व्यक्ति के द्वारा क्रय की जाती है और उसका नामांतरण भी हो जाता है और उसका कब्जा भी हो, तब भी उसे कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते है और बिना स्वत्व के किया गया नामांतरण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं रहता है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी उचित नहीं है कि कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही अवधि बाह्य की गई है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पूर्णतः अवैधानिक आदेश को किसी भी समय स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया जाता है और उसमें समय सीमा का बंधन नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होनें से उन पर विचार करनें की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर